



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267536
CG-DL-E-10112025-267536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 707]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2025

फा. सं. ईको- टी2 / 2025—केविआ.— विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 तक संशोधित “पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक—बोली मार्गनिर्देश” और मानक पारेषण सेवा करार दस्तावेजों की अनुसूची-7 के अनुसरण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविआ), दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 की अवधि के लिए संदाय के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित दर को अधिसूचित करता है।

पारेषण सेवा करार के अनुसार संदाय के प्रयोजन हेतु लागू वार्षिक वृद्धि दर:

क्र.सं.	विवरण	संदाय हेतु वार्षिक वृद्धि दर
1.	संदाय के प्रयोजन हेतु वृद्धि—योग्य पारेषण प्रभारों के लिए वार्षिक मुद्रा स्फीति दर	-0.67%

2. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 6 अगस्त, 2021 के “टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से अंतर-राज्यिक पारेषण सेवा (आईएसटीएस) की उपाप्ति के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देश

और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अधीन मानक पारेषण सेवा करार की अनुसूची-9 के अनुसार केविआ, दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 की अवधि के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित छूट दर को अधिसूचित करता है।

पारेषण सेवा करार के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्याशित घटना एवं विधि में परिवर्तन के अधीन राहत का निर्धारित करने के लिए छूट दर:

क्र.सं.	विवरण	दर
1	निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्याशित घटना एवं विधि में परिवर्तन के अधीन राहत को निर्धारित करने के लिए छूट दर	9.88%

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./442/2025-26]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2025

F. No. Eco T2/2025-CERC.— In pursuance of the "Tariff-based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service", amended up to 10th October 2008, issued by the Ministry of Power and Schedule-7 of the Standard Transmission Service Agreement documents, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) hereby notifies the following escalation rate for the purpose of payment for the period from 01.10.2025 to 31.03.2026.

Annual Escalation Rate applicable for the purpose of payment as per the Transmission Service Agreement:

S. No.	Description	Annual Escalation Rate for Payment
1.	Annual inflation rate for escalable transmission charges for the purpose of payment	-0.67%

2. In accordance with Schedule-9 of the Standard Transmission Service Agreement under the "Revised Guidelines and Standard Bidding Documents (SBDs) for procurement of Inter-State Transmission Services (ISTS) through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) process" dated 6th August 2021 issued by the Ministry of Power, the CERC hereby notifies the following discount rate for the period from 01.10.2025 to 31.03.2026.

Discount rate for determining the Relief under Force Majeure Event & Change in Law during the Construction Period as per the Transmission Service Agreement:

S. No.	Description	Discount Rate
1.	Discount rate for determining the Relief under Force Majeure Event & Change in Law during the Construction Period	9.88%

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./442/2025-26]